फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **सहायक कलेक्टर, रोहट** मुकाम **रोहट**

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
भगवाना		**जीयाराम वगैरह**

किस्म मुकदमा : राजस्व प्रार्थना पत्र नम्बर 01/2020 **सन् 2020**

अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित आदेश 39 नियम 01 व 02 व धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता।

तारीख हुकम	*हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज*	*नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए*
03.01.2020	वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण संख्या 01 लगाय 04 के अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित आदेश 39 नियम 01 व 02 व धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत किया गया है। यह प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी हो। वकील प्रार्थीगण निवेदन करते है कि यह प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है। प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 29/12 रकबा 15 बीघा बारानी दोयम खसरा नमबर 29/13 रकबा 15 बीघा बारानी दोयम व खसरा नम्बर 29/8 रकबा 15 बीघा भूमि सरहद माण्डावास में स्थित है। प्रार्थी की भूमि के उत्तर दिशा मे अप्रार्थी जीयाराम की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 30 रकबा 0.02 बीघा गैरमुमकिन नाडा, खसरा नम्बर 31/1 रकबा 33 बीघा 15 बिस्वा बारानी दोयम व खसरा नम्बर 31/3 रकबा 0.05 बीघा गै.मु.आबादी कुल रकबा 34.02 बीघा तथा अप्रार्थी पुरका की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 31/2 रकबा 34.01 बीघा बारानी दोयम स्थित है। उक्त खसरा नम्बर 31/1, 31/2 व 31/3 कुल रकबा 68.01 बीघा भूमि का अप्रार्थी जीयाराम व पुरका के बीच बंटवारा रेकर्ड अनुसार हो चुका है लेकिन नक्शा में तरमीम नही है। प्रार्थी की भूमि के चिपते खसरा नम्बर 30 रकबा 0.02 बीघा गै.मु.नाडा, खसरा नम्बर 341/1 रकबा 33.15 बीघा बारानी दोयम व खसरा नम्बर 31/3 रकबा 0.05 बीघा गै.मु.आबादी कुल रकबा 34.02 भूमि अप्रार्थी जीयाराम के बंट की है। खसरा नम्बर 29 कुल रकबा 398.05 बीघा भूमि में कुल 27 बटा नम्बर दर्ज है। लेकिन मौके पर भौतिक रूप से राजस्व नक्शा में तरमीम नही होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थी की खातेदारी भूमि मे नजरी नक्शा अनुसूची अ में लाल स्याही से मार्क एबीसीडी अनुसार दर्शाई भूमि पर नाजायज कब्जा कर अतिकमण कर दिया है। जिसका सीमांकन/सीमाज्ञान हेतु प्रार्थी द्वारा [illegible] महोदय पाली व तहसीलदार रोहट को प्रार्थना पत्र प्र[illegible]ये। लेकिन भूअनि व पटवारी हल्का माण्[illegible] गई है। प्रार्थी की करीब 4 बीघा [illegible] का नाजायज कब्जा है। राजस्व कार्मिको की मिलावट के का[illegible] अप्रार्थीगण के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही नही होने से अप्रार्थीगण उक्त अतिकमित भूमि पर मौके पर पत्थर बजरी डलवाकर पक्का निर्माण कराने पर आमादा है। यदि अप्रार्थीगण मौके पर पक्का निर्माण कराने मे सफल हो गये तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसका [illegible]	259 22/01/2020

Signature Not Verified
Digitally signed by Lalit Meena
Date: 2021.08.13 16:26:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

...वली पेश हुये। वकील वादी उप०। सरकारी
...रोकार उप०। वकील अप्रार्थी अनु०.

प्रतिवादी सं० 2 व 3 की तामील (तलबाने) अनभ्य रूप से
होकर लौटे है प्रतिवादी सं० 2 व 3 असालतन
व वकालतन वावजूद तामील उप० नहीं हुये है
अतः प्रति सं० 2 व 3 के विरुद्ध एकपक्षीय
कार्यवाही अमल मे लायी जाती है साथ ही
वकील वादी ने इंटरिम ऑर्डर को ताफैसला
स्थाई करने हेतु निवेदन किया। वकील
प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी

पत्रावली मे उप० दस्तावेजो, वकील
वादी की बहस पर ध्यान पूर्वक मनन करने
के पश्चात। आदेश दि० 03.02.2020
द्वारा पारित अस्थाई निषेध आज्ञा मूल वाद के
निस्तारण तक कन्फर्म की जाती है।
पत्रावली फैसल स[illegible] से
काम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lalit Meena
Date: 2021.08.13 16:26:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner